


(168)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र. क्रम्य ३८४७  
 प्र.क. / निग.-१९-२० निगरानी=०५३५।२०१९।६।५४८।७४४८  
 गबर खाँ पिता गफकार खाँ जाति मुसलमान  
 निवासी ग्राम मुडलाय तह. गुलाना जिला शाजापुर  
 आवेदक / निगरानीकर्ता



1. इसीही बनाम वी पति सत्तार खाँ निवासी राजस्थान
2. हनीफा वी पति इसीही खाँ निवासी ग्राम धारोली (जिला इंदौर)
3. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय अनावेदक / विपक्षी

676  
15/2/19

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.स.  
 विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त महोदय  
 उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र. क. 927 अपील  
 17-18 मे पारित आदेश दिनांक  
 29/01/19 के विरुद्ध

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

#### ॥ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ॥

- 1- यह कि आवेदक के ताउजी सत्तार खाँ व अन्य के संयुक्त स्वत्व का एक कृषि भूमि खाता क. 284/रकबा 0.66 सर्वक. 290 रकबा 1.05 कुल किता 02 कुल रकबा 1.710 हेक्टर का ग्राम मुडलाय पर. गुलाना में स्थित है उक्त खाता में सत्तार खाँ का 50 पैसा हिस्सा का स्वत्व है।
- 2- यह कि आवेदक गबर खाँ मृतक सत्तार खाँ के सगे भाई का पुत्र है एवं विपक्षीगण इसीही वी सत्तार खाँ की तलाक शुदा पति है जो विगत 30 वर्षों से सत्तार खाँ से अलग राजस्थान प्रदेश मे निवास करती रही है। मृतक सत्तार खाँ सारंगपुर व मुडलाय मे आवेदक के साथ निवास करते थे मरहूम सत्तार खाँ की दिनांक 21/05/15 को सारंगपुर जिला राजगढ़ में मृत्यु हो गई है।

श्राव्य २२०८

— 2 —

R-434 | 2019 | કાન્ફાયર | ૨૦.૧.

94119 સંખ્યા	કાન્ફાયર નિયમ - કાન્ફાયર-34/૩૮૭ એવી કાન્ફાયર કેવી રીતે, પ્રયત્ન કે કેવી કાન્ફાયર-વલાએ - ૩૧૬૦૬, કાન્ફાયર- કાન્ફાયર કેવી રીતે, કાન્ફાયર- કાન્ફાયર	94119 સંખ્યા
-----------------	---	-----------------

M